रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2131] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 1, 2015/आश्विन 9, 1937
No. 2131] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 1, 2015/ASVINA 9, 1937

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2015

का.आ. 2691 (अ).—जबकि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से दिनांक 26 सितम्बर, 1984 की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 686(अ) के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग कर्मचारी (पेंशन) विनियम, 1984 (जिसे इसमें इसके पश्चात् विनियम कहा गया) प्रकाशित किए थे;

और जबकि उक्त विनियमों के विनियम 15 में पेंशन का परिकलन करने के प्रयोजनार्थ व्यापार स्थापना अथवा संविदा के अधीन की गई सेवा अवधि की गणना का प्रावधान है;

और जबकि, 1 जनवरी, 2004 से खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने दिनांक 14 मार्च, 2008 के स्थायी आदेश संख्या 1668 के तहत नई पेंशन स्कीम जिसे अब राष्ट्रीय पेंशन पद्धति कहा जाता है, को अपनाया है;

और जबकि, विनियम 15 के प्रावधान पूर्व पेंशन स्कीम से संबंधित हैं तथा उक्त प्रावधान को जारी रखने से राष्ट्रीय पेंशन पद्धति को लागू करने के बारे में अस्पष्टता उत्पन्न हो सकती है और उससे प्रशासनिक अथवा कानूनी विवाद हो सकता है;

अब इसलिए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 27 की उप धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा ऐसे निरसन से पूर्व ऐसी की गई चीजें अथवा किये जाने के लिए छोड़ी गई चीजों के सिवाय खादी और ग्रामोद्योग आयोग कर्मचारी (पेंशन) विनियम, 1984 के विनियम 15 को रद्द करती है।

[फा. सं. ए-12034/14/2011-केवीआई-II]

बी. एच. अनिल कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2015

S.O. 2691 (E).—WHEREAS, vide notification number G.S.R.686(E), dated the 26th September, 1984, the Khadi and Village Industries Commission, with the previous sanction of the Central Government, had published the Khadi and Village Industries Commission Employees (Pension) Regulations , 1984 (hereinafter referred to as the said regulations), for the employees of Khadi and Village Industries Commission;

AND WHEREAS, regulation 15 of the said regulations provides for counting of the period of service rendered under the trading establishment or on contract for the purpose of computing pension;

AND WHEREAS, with effect from the 1st day of January, 2004, the Khadi and Village Industries Commission has adopted New Pension Scheme now called the National Pension System *vide* Standing Order number 1668, dated the 14th March, 2008;

AND WHEREAS, the provisions of regulation 15 relates to earlier pension scheme and continuation of the said provision may create ambiguity regarding the applicability of the National Pension System and lead to administrative or legal dispute;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 27 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956), the Central Government hereby rescinds regulation 15 of the Khadi and Village Industries Commission Employees (Pension) Regulations, 1984, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. A-12034/14/2011-KVI-II]

B. H. ANIL KUMAR Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.